



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र०क०

I/A०ग्रन्ति|विदिशा|मुख्यमंत्री|२०१४|०१०७०

श्री दुष्टन्त कुमार सिंह - पृ
द्वाय आज कि ६/२/१८ को
प्रस्तुत। ग्रामीण सभा ने
दिनांक १५-३-१८ दिनांक।

कलंक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1— चन्द्रेश उर्फ बालाप्रसाद पुत्र कुंवरलाल
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम—माला, तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)
- 2— पप्पू पुत्र तोरन आदिवासी
निवासी — ग्राम सिरावदा, तहसील कुरवाई,
जिला विदिशा (म.प्र.)
- 3— मुन्नालाल पुत्र रघुवीर प्रसाद जाति ब्राह्मण
निवासी — ग्राम माला, तहसील कुरवाई, जिला
विदिशा (म.प्र.) ——————आवेदकगण

बनाम

दुष्टन्त कुमार सिंह
एड्योकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सेक्यूरिटी
ग्वालियर-३

जमना प्रसाद पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण
निवासी — ग्राम माला, तहसील कुरवाई, जिला
विदिशा (म.प्र.) ——————अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता
-1959 (नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश
तहसीलदार महोदय, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के
प्रकरण क्रमांक 01/अ-70/2017-18 में पारित आदेश
दिनांक 26-12-2017 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन—पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/विदिशा/भ०रा0/2018/1090

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-4-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण को सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया। उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है। यह निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(एम.गोपाल रेड्डी)</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p> 	